न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला – जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 139/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/235

प्रार्थीगण

1. रणसिंह पुत्र सांगसिंह निवासी ग्राम रामसिंहनगर मेरिया, तहसील बालेसर हाल चामू जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर हाल चामू जिला जोधपुर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री इन्द्राराम प्रजापत उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या राजकीय पैरोकार।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 25/12/2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयान की व प्रार्थी के पूर्वजो की सामलाती खातेदारी की भूमि ग्राम सुजाननगर पटवार क्षेत्र बस्तवा माताजी तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 239, 258 मौजा रामसिंहनगर पटवार क्षेत्र रामसिंहनगर तहसील चामू के खसरा नम्बर 197, 205, 206, 207, 211, 227, 199, 209, 210, 226 भूमि आई हुई है। उक्त भूमि मे प्रार्थी का सामलाती हिस्सा निहित है तथा मौके पर अलग–अलग कब्जा काश्त है। प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो द्वारा जब राजस्व रेकर्ड मे पिता के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने हेतु राजस्व अधिकारियों एवं पटवारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थी का नाम रणसिंह पुत्र सांगसिंह के स्थान पर राणाराम पुत्र सांगराम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रणसिंह पुत्र सांगसिंह था। प्रार्थी का स्वंय का आधार कार्ड भी रणसिंह पुत्र सांगसिंह के नाम से बना हुआ है। प्रार्थी का जनआधार कार्ड एवं आर्मी से डिस्चार्ज बुक भी रणसिंह पुत्र सांगसिंह के नाम से जारी किया हुआ है। प्रार्थी [illegible] उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम राणाराम पुत्र सांगराम के स्थान पर [illegible] पुत्र सांगसिंह करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.14 09:29:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया [illegible] अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे अंकित किया गया है कि मौजा रामसिंहनगर के खसरा नम्बर 197, 206, 205, 207, 209, 10, 211, 199, 226, 227 मे नामान्तकरण संख्या 224 के द्वारा सांगाराम फौत के वारिस चिमूदेवी

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

बेवा सांगाराम, चैनाराम, शंकरराम, सोनाराम, राणाराम, स्वरूपाराम, माताराम पि. सांगाराम दर्ज हुआ जो आज दिनांक तक वर्तमान मे जमाबंदी मे दर्ज है। प्रार्थी रणसिंह के दस्तावेज यथा आधारकार्ड, आर्मी डिस्चार्ज बुक, पैनकार्ड, राशनकार्ड, जनआधारकार्ड, पहचान पत्र, बैक पासबुक मे रणसिंह पि. सांगसिंह दर्ज है। रणसिंह व राणाराम एक ही व्यक्ति के नाम है जिसके संबंध मे मजमेआम मे पुछताछ की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बहस की गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त शुद्धि के समर्थन में प्रस्तुत विभिन्न पहचान दस्तावेजों एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अतः पत्रावली में उपलब्ध विभिन्न दस्तावेजों, अप्रार्थी का जवाब एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुजानानगर पटवार क्षेत्र बस्तवा माताजी तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 239, 258 मौजा रामसिंहनगर पटवार क्षेत्र रामसिंहनगर तहसील चामू के खसरा नम्बर 197, 205, 206, 207, 211, 227, 199, 209, 210, 226 के राजस्व रेकर्ड मे **प्रार्थी का नाम राणाराम पुत्र सांगाराम के स्थान पर रणसिंह पुत्र सांगाराम उर्फ सांगसिंह** नाम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है इसके अतिरिक्त किसी भी खातेदार के हिस्से मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जावे। तहसीलदार उक्तानुसार उक्त खसरों में प्रार्थी का नाम शुद्व करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक २५|१२|२४ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.14 09:29:10 IST
Reason: SelfAttested